



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 661 राँची, सोमवार,

6 नवंबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-41/2019-24257 (HRMS)--श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-213/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक-16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

2 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री केवल कृष्ण अग्रवाल द्वारा श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री अग्रवाल के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। श्री अग्रवाल का यह आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3(3) के प्रतिकूल है ।

3-उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1085, दिनांक 10.02.2020 द्वारा श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री अग्रवाल के पत्रांक-175, दिनांक 24.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री अग्रवाल के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2600, दिनांक 28.05.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64 दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

4- श्री अग्रवाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-20951(HRMS), दिनांक 11.05.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-184, दिनांक 28.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में अंकित किया गया कि वर्णित तथ्यों एवं उभय पक्षों की सुनवाई तथा अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट होता है कि संबंधित कार्यालय के स्तर से आरोपित पदाधिकारियों को प्रश्नगत मामले संज्ञान/प्रकाश में नहीं लाया गया है तथा इस आशय का समर्थन उपस्थापन पदाधिकारियों के द्वारा समर्पित मंतव्य में उल्लेखित है। स्थापित विहित प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित कार्यालय के द्वारा आरोपी पदाधिकारी को प्रश्नगत मामले को संज्ञान में नहीं लाने के कारण श्री अग्रवाल के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा सकी। फलतः आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

5-श्री अग्रवाल के विरुद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु पूर्व से दिए गए अग्रिम असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। उक्त आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में प्रतिवेदित है कि उनके दिनांक 04.03.2014 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 05.03.2014 को लोकसभा निर्वाचन, 2014 हेतु आचार संहिता लागू हो गई। कठिन परिस्थितियों में लोकसभा निर्वाचन का सफल निष्पादन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लोकसभा निर्वाचन 2014 एवं विधानसभा चुनाव 2014 से संबंधित कार्यों के सफल निष्पादन में वे व्यस्त थे तथा अत्यधिक कार्यालयों के प्रभार के कारण कार्यों की पूर्ण समीक्षा संभव नहीं हो पायी। उक्त प्रभार अवधि में श्री आयकत को दिए गए अग्रिम से संबंधित विषय प्रखंड कार्यालय अथवा अन्य माध्यम से इनके संज्ञान में नहीं लाया गया। इनकी अति अल्प प्रभार अवधि दिनांक 04.03.2014 से 30.09.2014 तक रही, जिसके कारण ही इस मामले तक नहीं पहुँच पाए। यदि उन्हें थोड़ा समय इस प्रखंड में और मिल गया होता, तो ये मामला उनके संज्ञान में अवश्य आ जाता और विधिसम्मत कार्रवाई अवश्य की जाती। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर ने भी अपने मंतव्य में इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकारात्मक मानते हुए समर्पित जवाब के आलोक में इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने का प्रतिवेदन समर्पित किया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

6-अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झां०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KEWAL KRISHNA AGRAWAL 110041163127	श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झां०प्र०से०, (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-213/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
